प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 26-09-2021

अवैध अपमिश्रित शराब, यूरिया व एक अदद वाहन बरामद करने के संबंध में

जनपद में हो रही अवैध शराबी की बिक्री एवं निष्कर्षण को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अवैध शराब की बिक्री एवं निष्कर्षण को रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल द्वारा टीम गठित कर स्थान व समय बदल – बदल कर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग किया के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 25.09.2021 को चौकी प्रभारी मजनू उ0िन0 अरविन्द कुमार सिंह मय हमराहियान के मजनू क्षेत्र में चेकिंग किया जा रहा था कि मुखबिर की सूचना पर जगतबेला सड़क के मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्तियों जो नीले रंग के स्कूटर पर सामान बंधा हुआ था, रोककर चेक करने पर उसके पास से 10 प्लास्टिक के थैलों में 50 लीटर के लगभग तरल द्रव्य एवं 01 थैले में लगभग 01 किलोग्राम यूरिया बरामद हुआ, समय करीब 20.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

नाम पता अभियुक्त-

रामाकांत पुत्र सोनई निवासी इंदिरा चक नौसड़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थानः-

दिनांक-25.09.2021 समय 20.30, जगत बेला मोड़ के पास थाना चिलुआताल गोरखपुर।

बरामदगी विवरण-

- 1. 10 प्लास्टिक के थैलों में 50 लीटर अवैध अपमिश्रीत शराब
- 2. 01 किलोग्राम यूरिया
- 3. 01 अदद स्कूटी नीले रंग की नं0 नंबर UP53DZ3461

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0स0 378/2021 धारा 272 भादवि व 60/63 आबकारी अधि0।

गिरफ्तारी मे शामिल टीम:-

- 1. उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह थाना चिलुवाताल जनपद गोरखपुर।
- 2. का0 जितेन्द्र मौर्या
- 3. का0 विजय सरोज